न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 40/2017 (राजसमन्द डिक्री)

1. श्री मोहनलाल पिता पृथ्वीराज जी कुमावत निवासी सनवाड़ तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)
2. श्री अम्बालाल पिता पृथ्वीराज जी कुमावत निवासी सनवाड़ तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)
3. श्री देवीलाल पिता पृथ्वीराज जी कुमावत निवासी सनवाड़ तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)
4. श्री खेमराज पिता पृथ्वीराज जी कुमावत निवासी सनवाड़ तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)
5. श्री लक्ष्मीलाल पिता पृथ्वीराज जी कुमावत निवासी सनवाड़ तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)

..... अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्रीमती भंवरीबाई पत्नी भैरूलाल जी कुमावत निवासी सनवाड़ तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)
2. श्री बंशीलाल पिता भंवरलाल जी कुमावत निवासी सनवाड़ तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)
3. श्री रामचन्द्र पिता भैरूलाल जी कुमावत निवासी सनवाड़ तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)
4. श्री द्वारकाप्रसाद पिता भैरूलाल जी कुमावत निवासी सनवाड़ तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)
5. श्री किशनलाल पिता भैरूलाल जी कुमावत निवासी सनवाड़ तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)
6. श्रीमती अणछीबाई पुत्री भैरूलाल जी कुमावत निवासी सनवाड़ तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)
7. श्रीमतीर केसरबाई पुत्री भैरूलाल जी कुमावत निवासी सनवाड़ तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)
8. इन्दरमल पिता कालू जी कुमावत मृतक के बजाय वारिसान :–

8/1– श्री ईश्वरमल पिता इन्दरमल जी कुमावत निवासी सनवाड़ तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)

8/2– श्री गोपीलाल पिता इन्दरमल जी कुमावत निवासी सनवाड़ तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)

8/3– श्री प्रकाश पिता इन्दरमल जी कुमावत निवासी सनवाड़ तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)

8/4– श्रीमती शांति पुत्री इन्दरमल जी कुमावत पत्नी फतहलाल जी कुमावत निवासी आरवाड़ा तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)

8/5– श्रीमती वरदीबाई बेवा इन्दरमल जी कुमावत निवासी निवासी सनवाड़ तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)

9. श्री केलीराम पिता कालू जी कुमावत निवासी सनवाड़ तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)

10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजसमन्द जिला राजसमन्द (राज0)

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड
अधिकारी राजसमन्द दिनांक 20–11–2015 प्रकरण
संख्या 02/2015 रेवेन्यू वाद

————/————

उपस्थित :–1– श्री अक्षय पालीवाल अभिभाषक अपीलान्ट्स
2– श्री मुकेश तलेसरा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं0 2
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट संख्या–10

————/————

निर्णय **दिनांक 14–02–2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या–2 द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध धारा–53 व 188 का वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सनवाड़ के वादपत्र की कलम संख्या–1 वर्णित आराजीयात कूल किता–6 रकबा 12 बीघा 16 बिस्वा भूमि पक्षकारान की शामलाती भूमि है। जिसमें से उसका 1/3 हिस्सा होकर वह अपने हिस्से अनुसार आराजी नंबर 729 पर काबिज है। अतएव भूमियों का विधिवत विभाजन करवाया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा दिलवाई जाय।

प्रकरण में दिनांक 27–8–2015 को प्रतिवादी संख्या 1 से 8 की और से जवाबदावा पेश हुआ। प्रतिवादी संख्या–9 से 13 अर्थात अपीलान्ट द्वारा जवाब का अवसर चाहा गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 6–10–2015 को प्रतिवादी संख्या 9 से 13 अपीलान्ट का जवाब बन्द कर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी तथा दिनांक 20–11–2015 को प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अंतिम डिक्री जारी कर दी।

अधिनस्थ न्यायालय के अंतिम डिक्री दिनांक 20–11–15 से रूष्ट होकर अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या 9 से 13 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिंनाक 14–12–15 को पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या–2 की और से अधिवक्ता श्री मुकेश तलेसरा ने उपस्थिति दी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–10 की और से औपचारिक पक्षकार राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटिपूर्ण होना बताते हुए खारिज करने की प्रार्थना की। वहीं अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने 16–10–2015 को प्रारम्भिक डिक्री पारित की तथा अपील मयाद पूरी हुए बिना अंतिम डिक्री पारित कर दी। दिनांक 20–11–2015 की आदेशिका में भी पैरोकार सरकार के Back Date में 27–10–2015 को हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त अंतिम डिक्री से पूर्व अपीलान्ट प्रतिवादीगण को सुना ही नहीं गया। विभाजन प्रस्ताव सिर्फ वादी रेस्पोन्डेन्ट की उपस्थिति में ही तैयार करवाये गये। अपीलान्ट व अन्य प्रतिवादीगणों को इसकी कोई सूचना नहीं दी गई। अपीलान्ट का पूर्व वाद 268/2013 वर्ष 2013 से लम्बित होने के तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध थे। मौके पर बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ कार्यालय में बैठकर वादी रेस्पोन्डेन्ट को एक

अकेली आराजी देकर शेष सभी सह–खातेदारान को शामिल छोड़ दिया गया।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक डिक्री में अपीलान्ट को जवाब प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया है। साथ ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट प्रतिवादी का दफा–10 जाब्ता दीवानी का आवेदन भी शामिल पत्रावली होकर अनिर्णित है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जब अनिर्णित प्रार्थना पत्र पत्रावली में शामिल है तथा पूर्व का वाद भी समान विषय–वस्तु व पक्षकारों के मध्य लम्बित है, तो फिर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन का निस्तारण किये बिना, अपीलान्ट को जवाब का अवसर दिये बिना, साक्ष्य लिये बिना प्रारम्भिक डिक्री जारी कर देना तथा अपील पूर्व ही अंतिम डिक्री जारी कर देना, निसन्देह विधि विरूद्ध है। विशेष रूप से तब जब अंतिम डिक्री में वादी रेस्पोन्डेन्ट का एकल आराजी लेकर शेष सभी सह–खातेदारों को संयुक्त रख दिया जाय। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 20–11–2015 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ **प्रतिप्रेषित** किया जाता है कि पत्रावली में उपलब्ध दिनांक 31–8–2015 के दफा–10 जाब्ता दीवानी के आदेश का सर्व प्रथम विधिक निस्तारण करे तथा तद्नुसार वांछित रहने पर प्रकरण में अपीलान्ट का जवाब प्राप्त कर विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए प्रारम्भिक डिक्री पर विधिक निर्णय पारित करे एवं तद्नुसार अंतिम डिक्री पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 17–4–2018 को उपस्थित होवें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 14–02–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ**. .....मुकाम ..... **उदयपुर** व इजलास ..... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** .....

पृथ्वीसिंह पिता श्री तखता जी दसाणा राजपूत निवासी सुंखार तहसील कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द (राज0)

बनाम

1– बाबूसिंह पिता लच्छा जी दसाणा राजपूत निवासी सुंखार तहसील कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द (राज0) अन्य–26 व सरकार

अपील नं0 **22/2012** बनाराजगी डिगरी अदालत..... **उपखण्ड अधिकारी** ..... **कुम्भलगढ़**..... मुकाम मुक्र्खे.....**12**.....माह.....**01**..... **2012**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख .....**12**..... माह .....**12**..... सन् **2017.....** रूबरू..... पक्षकारान व हाजरी ....**श्री अतुल पालीवाल**..... मिनजानिब अपीलान्ट व .....**राजकीय अधिवक्ता**..... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 12–1–2012 यथावत रखा जाती है।**

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X .....अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख .....**12**..... माह ...**12**..... **2017** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील ....स्टाम्प वकालत नामा.... 2. इजराय हुक्मनामा ..... 3. वकील फीस बाबत ..... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।